

## आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिए आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशान में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्तें देते रहे तो कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों को डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानों से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ बिना हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मंडल के मकान सस्ते पड़ते हैं।

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री भजन लाल शर्मा  
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान



श्री ज्यावर सिंह खर्जा  
माननीय मंत्री स्वायत्त शासन  
नारीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान

# राजस्थान आवासन मण्डल

आकरा भूमि स्वप्रित पोषित आवासीय योजना -2024, आबू राड़, जिला-सिरोही

मध्यम आय वर्ग 'ब'  
एवं उच्च आय वर्ग  
के स्वतंत्र आवास हेतु

योजना | 15.03.2024  
अवधि | 15.04.2024 से



'मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना'



## राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर  
फोन : 0141-2740812, 2440113, 2740614


E-mail : rejpr1.rhb@rajasthan.gov.in • Website : www.rhb.rajasthan.gov.in

# हमारी छुशी का संसार

## हमारा अपना घर



# राजस्थान आवासन मण्डल



2F-96 & 98  
(1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25-53, 95)  
2D-90, 91, 92, 93, 94, 114, 115, 116, 117, 136, 139, 140, 141  
1C1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 34)



# राजस्थान आवासन मण्डल

आकरा भट्टा स्ववित्त पोषित आवासीय योजना - 2024  
आबूरोड़ शहर, जिला-सिरोही

मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग के स्वतंत्र आवास हेतु  
स्वतंत्र आवास हेतु आवेदन पत्र की बिक्री / प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का कार्यक्रम

## कार्यक्रम

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| 1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध  | : 15.03.2024 | } |
| 2. ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि                                 | : 15.04.2024 |   |
| 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान   |              |   |
| 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि                             |              |   |
| 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान |              |   |
| 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान                            |              |   |
- अंतिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाइट [www.rhb.rajasthan.gov.in](http://www.rhb.rajasthan.gov.in) पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

## सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता खण्ड - प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर फोन : 0291-2700180 फोन : 9772234410, 9983422700	उप आवासन आयुक्त वृत - द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर फोन : 9983651500	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल 17 ई -539/540, चौपासनी, जोधपुर फोन : 0291-2717539
---	--	---

### विशेष :

- बैंक का नाम : ICICI Bank  
खाता संख्या : 682705500182  
शाखा : 14/67, चौ.हा.बो. जोधपुर  
IFSC Code : ICIC0006827
- आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट [www.rhb.rajasthan.gov.in](http://www.rhb.rajasthan.gov.in) पर केवल ऑनलाइन ही भरे जायेंगे इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रु 354/- में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने ग्रेट-बैंकिंग मार्फत जमा कराई जा सकती है।

## ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:

यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है—
  - i. आय का प्रमाण पत्र।
  - ii. पंजीकरण की पूर्ण राशि ऑनलाइन आवेदन करते समय फार्म के साथ जमा करानी होगी।
  - iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
  - iv. संबंधित वांछित प्रमाण पत्र।
  - v. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ रखयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
  - vi. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है।



# राजस्थान आवासन मण्डल

आकरा भद्रा स्ववित्त पोषित आवासीय योजना - 2024

आबूरोड़ शहर, जिला-सिरोही

मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग के स्वतंत्र आवास हेतु

स्वतंत्र आवास हेतु आवेदन पत्र की बिक्री / प्राप्ति व वरीयता निर्धारण की

योजना की प्रस्तावना :-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राजस्थान सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर रख्छ, रखरथ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में जन सामान्य की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आकरा भद्रा स्ववित्त पोषित आवासीय योजना, आबूरोड़, सिरोही में (विशिष्ट पंजीकरण योजना 2024) आरंभ करने जा रहा है। जिसमें मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग के स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना में यथासंभव सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे :- पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक केन्द्र, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैण्ड स्कैपिंग, एलईडी लाईटिंग आदि प्रस्तावित हैं।

आकरा भद्रा आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 69.03 बीघा है। इस आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग 'ब' के 25, उच्च आय वर्ग के 13 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं। जिनका विवरण तालिका के अनुसार है।

### तालिका – 1

**आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-**

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	प्लॉट साईज (मीटर)	निर्मित क्षेत्र लगभग (वर्ग मीटर)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	12	8.00मीX15.00मी	दो कमरे, किचन बाथरूम, शौचालय डाईनिंग, ड्रॉइंग रूम	27.44
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	13	8.00मी X 16.00मी	दो कमरे, किचन बाथरूम, शौचालय डाईनिंग, ड्रॉइंग रूम	29.52
3.	उच्च आय वर्ग	13	10.50मीX20.00मी	दो कमरे, किचन बाथरूम, शौचालय-2 डाईनिंग-2, ड्रॉइंग रूम	46.35

### **नोट :**

- (i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। अतः मण्डल  
द्वारा आवास आवंटन के समय अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस  
हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

### **आवासीय योजना की विशेषताएँ :-**

यह आवासीय योजना मण्डल की आकरा भट्टा आवासीय योजना आबूरोड़ में स्थित है,  
इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :—

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. रेल्वे स्टेशन | 3.3 कि.मी. |
| 2. बस स्टेण्ड    | 2.9 कि.मी. |
| 3. मुख्य बाजार   | 3.4 कि.मी. |

## **पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें—**

स्वतंत्र आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय—समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा ।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है । यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो भी वह इस योजना में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण कराने के पात्र होंगे ।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा ।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी / पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास / भूखण्ड नहीं होना चाहिए ।
4. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए । (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए । (यदि प्राप्त कर लिये हो )
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था / कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास / फ्लेट का आवंटन नहीं किया गया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास / फ्लेट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी । इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास / फ्लेट आवंटित किया गया है ।

7. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग से ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जायेगी। वरीयता वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारित की जायेगी।
8. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

क्र. सं.	वर्ग	आरक्षण का विवरण	प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित			कुल योग %
			सामान्य (%)	(G-9) दिव्यांग	निरक्षित एवं भूमिहीन	
1	जी-1	(i) (अ) राज्यकर्मचारी/बोर्ड/निगम/प्राइवेट सेक्टर के कार्यरत कर्मचारी (ब) सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक (स) केंद्र सरकार वे कर्मचारी	8.50	0.50	1.00	10.00
		(ii) (अ) वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस गल के रक्षाकर्मी (ब) रोनिक विधवायें/वीरांगनाये (स्थल सेना को प्राप्तिकर्ता)	8.50	0.50	1.00	10.00
2	जी-2	(i) सामान्य श्रेणी	33.58	1.98	3.95	39.50
		(ii) प्राफेशनल श्रेणी (फेवल एडवोकेट/वार्टर/एकाउन्टेण्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर)	4.25	0.25	0.50	5.00
3	जी-3	मण्डल कर्मचारी	0.85	0.05	0.10	1.00
4	जी-4	अनुसूचित जाति	13.60	0.80	1.60	16.00
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	10.20	0.60	1.20	12.00
6	जी-6	वर्तमान/भूतपूर्व विधायक/सांसद	0.85	0.05	0.10	1.00
7	जी-7	स्वतंत्रता सेनानी	0.43	0.03	0.05	0.50
8	जी-8	अधिस्वीकृत पत्रकार	1.70	0.10	0.20	2.00
9	जी-10	वीरता प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.85	0.05	0.10	1.00
10	जी-12	परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति	1.70	0.10	0.20	2.00

उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित आवास सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किया जायेगा।

नोट:- श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

9. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज़/सूचनाएँ गलत, झूठी अथव असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताये, नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जायेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों के अनुसार कटौति करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
11. इस योजना में तालिका 1 में दर्शाई गई आवासों की अनुमानित लागत की लगभग 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है जिसका विवरण निम्नांकित सारणी अनुसार है –

### तालिका – 03

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रूपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रूपये में)	आवेदन शुल्क (रूपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रूपये में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	1200000/- से 1800000/- तक	2,74,400+5% GST 13720 अर्थात् कुल राशि 2,88,120 रूपये	1500.00+18 % अर्थात् कुल राशि 1770/-	रु. 300+18% GST 354	2,90,244 रूपये
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	1200000/- से 1800000/- तक	2,95,000+5% GST अर्थात् कुल राशि 3,09,250	1500.00+18 % अर्थात् कुल राशि 1770/-	रु. 300+18% GST 354	3,11,374 रूपये
3.	उच्च आय वर्ग	1800001/- से अधिक	4,63, 500+5% GST अर्थात् कुल राशि 4,86,675	2000+18% अर्थात् कुल राशि 2360/-	रु. 300+18% GST 354	4,89,389 रूपये

नोट : (अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति / पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रीतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-
- (अ) स्वयं के लिए –
1. वेतन
  2. विशेष वेतन
  3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
  4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
  5. गृह / सम्पति / व्यापार से आय
  6. विनियोग से ब्याज
  7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।
- (ब) आवेदक की पत्नी / पति की आय उपरोक्तानुसार।
- (स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।
13. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से मण्डल द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की जमा राशि में से प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध 5 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
15. स्वित पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से निर्माण कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :-

#### तालिका—4

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र में प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	प्रथम किश्त	1 माह	22.50%
		द्वितीय किश्त	4 माह	22.50%
		तृतीय किश्त	7 माह	22.50%
		चतुर्थ किश्त	10 माह	22.50%

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः आवासों का आवंटन ओवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर ही किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फ्लैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य “डिपोजिट कार्य” की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  - (अ) आवेदकों को **तालिका-4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 6 माह तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा। इसके पश्चात् आवेदक का आरक्षण/आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - (ब) तालिका-4 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।
18. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण करने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किश्त में किया जायेगा तथा शेष राशि बिन्दु संख्या 15 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।
19. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
20. **रिफण्ड**
  - (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
  - (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात् तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
  - (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।
- (v) यदि स्ववित्त पोषित योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार कटौती की जावेगी तथा आवेदनकर्ता का पूर्व पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा।
21. **उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।**
22. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम अथवा द्वितीय किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवासों के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
23. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
24. **मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निश्चित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।**
25. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवासों के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवासों का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवासों की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवासों की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवासों का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूपआवासोंके आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्च देय होंगे जिनका मकान के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:-
- (क) **लीज राशि :** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) **अन्य खर्च :**
- निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
  - अन्य विविध खर्च जो कि मण्डल समय-समय पर निर्धारित करें।
27. मंडल के आवास/आवासों केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास/फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास/फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कठौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :—
- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
  - सेनेटरी फिटिंग
  - अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
31. मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

34. सम्पत्ति निरतारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
35. पंजीकरण की राशि निम्नलिखित खाता संख्या में केवल ऑनलाइन ही जमा होगी।
- बैंक का नाम : ICICI Bank  
 खाता संख्या : 682705500182  
 शाखा : 14/67, चौ.हा.बो. जोधपुर  
 IFSC Code : ICIC0006827
- 36.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना आवासीय अभियन्ता खण्ड प्रथम जोधपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। **पता परिवर्तन करते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।**
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट [www.rajasthan.gov.in](http://www.rajasthan.gov.in) के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
37. **वित्तीय सुविधायें :** आवासन मण्डल से मकान लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
38. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पास पोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कार्ड मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में सं (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित् दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
41. मण्डल द्वारा समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चर्स्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

## **महत्वपूर्ण बिन्दु :-**

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।  
दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- ii. आवेदन—पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण—पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iii. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- iv. “आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ—पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- v. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोन्यन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vi. लाटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख—रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
- xi. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
<b>आकरा भट्टा आबूरोड़, जिला - सिरोही</b>	उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर फोन : 9983651500
	<b>आवासीय अभियन्ता खण्ड – प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर फोन : 0291-2700180 9772234410, 9983422700</b>

सभी आवेदकों के लिए

## शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
आयु ..... वर्ष, जाति ..... निवासी .....  
एतदद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास पूर्व में राज्य के शहर ..... में आवासन मण्डल से सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, भूखण्ड/आवास संख्या ..... योजना ..... में आवंटित है/आवंटित था।
3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

## सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता  
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए  
आय प्रमाण—पत्र हेतु शपथ—पत्र  
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

### शपथ—पत्र

मैं ..... पुत्र / पत्नी श्री ..... आयु .....  
जाति ..... निवासी .....  
(अनुसूचित जाति / जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता / करती हूँ:-

- यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2022–2023 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार है—
- अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से रुपये हैं।
- ब. मेरे पति / पत्नी, अवयर्स्क पुत्र / पुत्री / दत्तक पुत्र / दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये हैं।
- स. यह कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ..... रुपये है।

**शपथ गृहिता**  
**हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा**

### सत्यापन

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....  
निवासी ..... सत्यनिष्ठा से सत्यापित  
करता / करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही सत्य है तथा  
मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

**शपथ गृहिता**  
**हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा**

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

## वेतनभोगी आवेदकों के लिए

### आय प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/  
 संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .....में.....  
 पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के  
 उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रूपये .....  
 .....प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष  
के हस्ताक्षर मय मोहर  
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

### अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....पुत्र/पत्नी  
 श्री .....निवासी .....जिला .....  
 ....संभाग .....राज्य .....जाति .....के सदस्य हैं जो अनुसूचित  
 जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति  
 में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार  
 (कार्यालय की मोहर सहित)

## स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
 जिला ..... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष ..... में राज्य सरकार द्वारा  
 ताम्र—पत्र/प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव  
 (सामान्य प्रशासन विभाग)  
 राजस्थान सरकार, जयपुर

## शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
 ने वर्ष ..... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. .....
2. .....
3. .....

सचिव  
 राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

## अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ग्राम.....  
 जिला ..... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .....  
 नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी  
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

## भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र

### प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
 स्व. श्री ..... निवासी .....  
 ..... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में  
 हताहत हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव  
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना  
 अनिवार्य है।)

## राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... क्षेत्र .....  
 विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र  
 ..... के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव  
 लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा  
 सचिवालय

## भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा  
 क्षेत्र/राज्यसभा, जिला ..... से सत्र ..... में सदस्य रहे हैं एवं  
 भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर


महासचिव/सचिव  
 लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा  
 सचिवालय

## GENERAL SPECIFICATION OF CONSTRUCTION

1. R.R. Stone masonry foundation plinth in cement mortar 1:6.
2. Brick/Block masonry for superstructure in cement sand mortar 1:6.
3. RCC work in plinth/ Lintel band & slab.
4. Plaster in cement sand mortar 1:6
5. Flooring work of Vitrified tiles & Granite Stone on Kitchen Table top.
6. Pressed steel door frame & hollow steel section window in MIG-B / HIG
7. Flush door, shutter with steel fittings.
8. Interior finishing : POP/Oil bound distemper.
9. Exterior finishing : White cement putty / acrylic paint.
10. Glazed tiles / WC, Bath & Kitchen.



# RAJASTHAN HOUSING BOARD




**TYPE DESIGN - MIG B**

Plot Size - 8.0 \* 16.00 M

Plot Area - 91.20 SQM



# RAJASTHAN HOUSING BOARD




TYPE DESIGN - MIG B

Plot Size : 8.0 x 15.0 M

Plot Area : 83.20 SQM



# RAJASTHAN HOUSING BOARD



## GROUND FLOOR PLAN

HIG House (Plinth Area 144.30 Sq. Mtrs.)

Plot Size : 10.50 x 20.00 M